


भादेश	कार्यवाही विवरण सांवरमल बनाम बेगला प्र.सं. 206 / 2016	अनुपालना के कमांक एवं दिनांक
16-09-22	<p>पत्रावली पेश हुई। मूल वाद वादी अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो चुका है। मूल वाद का निस्तारण होने प्रार्थना पत्र चलाने का कोई औचित्य नहीं रहता है। इसके अतिरिक्त आवेदक को बार-बार आवाज लगवाई गई परन्तु इनकी ओर से कोई भी उपस्थित न्यायालय नहीं होने से प्रार्थना पत्र भी अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> ए. सी. ई. एम. (का. दे.) नवलगढ</p>	

